कार्यालय,
सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या:- प्राशि0/परिषद सम्बद्धता/2020/1901 लखनऊ: दिनांक 15-9-2020

-कार्यालय ज्ञाप-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली /फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा वैधिक वर्ष 2020-21 हेतु विभिन्न तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-8-2020 को आयोजित प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ की आयोजित बैठक में लिए गए निर्णय के अनुपालन में, विभिन्न संस्थानों को सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने के निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक दि 10-9-2 में लिये गए निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0 प्र0 लखनऊ द्वारा सत्र 2020-21 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम अनुमोदित करते हुये सम्बद्धता प्रदान की जाती है :-

क्र0 सं0	संस्था कोड	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	एआईसीटीई/ द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	4449	अंजना इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलाजी एण्ड मैनेजमेन्ट, सैनिक- सनकरौली महदूर पो0- अंजाना, बाराबंकी।	सिविल इंजीनि	120	120
			इलेक्ट्रिकल इंजीनि	60	60
			इलेक्ट्रानिक्स इंजीनि	60	60
			मैकेनिकल इंजीनि ऑफ	120	120
			कम्प्यूटर साइंस एण्ड इंजीनि	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था एआईसीटीई/पीसीआई द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमावली 1992, सेमेस्टर विनियमावली-2016 तथा अन्य निर्गत नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजीनि पाठ्यक्रमों हेतु रू0 30,150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम हेतु रू0 40,000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक वर्ष के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रू0-22,500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से लिया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। प्रवेश निर्गतन समिति द्वारा यदि सत्र 2020-21 हेतु सीज का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो सीज की मानिकता दये लागू होगी।
- ✓ संस्था को उ0प्र0 प्राविधिक शिक्षा समितियों तथा उप समितियों, बोर्डों/इकाईयों को सम्बद्ध किया जाना) विनियमावली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में अनुक्रम प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित पात्रता की ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निर्धारण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को एआईसीटीई/पीसीआई से अपनी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था द्वारा प्रवेश शासन द्वारा समय समय पर विधि/नियमावली/अधिसमय/शासनादेश/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0, लखनऊ प्रवेश परीक्षा परिषद, उ0प्र0 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 द्वारा जारी गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करना हो होगा।
- ✓ किसीभ इस फार्मेसी पाठ्यक्रम को संचालन यदि पीसी आई, नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रही है तो इस संस्था में समायोजित छात्र/छात्राओं का इसका और प्रविष्ट कर से किसी भी छात्र/छात्रा से किसी प्रकार की अतिरिक्त फीस नहीं ली जायेगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 प्रवेश परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई पत्र भारत किया जाता है तथा उपरा पत्र की संख्या में का, पाठ्यक्रम हुआ किसी प्रकार की प्रतिकूल संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिकूल संबंधित संस्था की होगी होगी।
- ✓ किसीभ इस फार्मेसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को उपयुक्त प्रवेश परिषद परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रवेश वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारम्भ होने के पूर्व पीसीआई से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा पाये प्रवेश की (काउन्सिलिंग के पश्चात से अवश्य संस्था कार्य कर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को प्रवेश विज्ञापन में संस्था की सम्बद्धता सुसंगत सीमे समस्त की रिजिस्ट्रेशन पुष्टिकृति, आरक्ष, फार्म-मानक, पाठ्यक्रम, फार्म विवरण आदि सुसंगत पाठ्यक्रम शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को विज्ञापन-प्रविज्ञापन हेतु उपयुक्त पाठ्यक्रम उपलब्ध कराने के साथ रैंकिंग रिपोर्ट के उपलब्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित करे कि संस्था में प्रवेशार्थि/अभ्यर्थियों पाठ्यक्रम की संख्या उसमें हेतु निर्देशन अवधि के समय उपलब्ध संसाधनों यथा अधिष्ठाता, बुद्धि-मानव, फार्मेसी, उपकरणण इत्यादि का यदि संख्या द्वारा किसी प्रकार प्रवेशार्थियों के संचालन में प्रवेश किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रवेश किसी अन्य स्रोत से लिए जा रही है तो संस्थान संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुशंसा की जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

कार्यालय,
सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या:- प्राशि0/परिषद सम्बद्धता/2021/3537 लखनऊ: दिनांक: 09/09/2021

-कार्यालय ज्ञाप-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा वैधिक वर्ष 2021-22 हेतु विभिन्न तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदित प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 08/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/ पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य साढ़े पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0 प्र0 लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है :-

संस्था का कोड एवं नाम : 4449-ANJANA INSTITUTE OF TECHNICAL EDUCATION,VILL- SANKRAOLI MADUPUR,POST-AJGARA,RANIGANJ,PRATAPGARH

क्रमांक	पाठ्यक्रम का नाम	एआईसीटीई/ पीसीआई द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	CIVIL ENGINEERING	120	120
2	ELECTRICAL ENGINEERING	60	60
3	ELECTRONICS ENGINEERING	60	60
4	MECHANICAL ENGINEERING (PRODUCTION)	120	120
5	COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था एआईसीटीई/पीसीआई द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमावली 1992, सेमेस्टर विनियमावली-2016 तथा अन्य निर्गत नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजीनि पाठ्यक्रमों हेतु रू0 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम हेतु रू0- 40000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक वर्ष के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रू0-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से लिया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। प्रवेश निर्गतन समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु सीज का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो सीज की मानिकता दये लागू होगी।
- ✓ संस्था को उ0प्र0 प्राविधिक शिक्षा समितियों तथा उप समितियों, बोर्डों/इकाईयों को सम्बद्ध किया जाना) विनियमावली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में अनुक्रम प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित पात्रता की ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निर्धारण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को एआईसीटीई/पीसीआई से अपनी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था द्वारा प्रवेश शासन द्वारा समय समय पर विधि/नियमावली/अधिसमय/शासनादेशों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0, लखनऊ प्रवेश परीक्षा परिषद, उ0प्र0 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 द्वारा जारी गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करना हो होगा।
- ✓ किसीभ इस फार्मेसी पाठ्यक्रम को संचालन यदि पीसी आई, नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रही है तो इस संस्था में समायोजित छात्र/छात्राओं का इसका और प्रविष्ट कर से किसी भी छात्र/छात्रा से किसी प्रकार की अतिरिक्त फीस नहीं ली जायेगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 प्रवेश परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई पत्र भारत किया जाता है तथा उपरा पत्र की संख्या में का, पाठ्यक्रम हुआ किसी प्रकार की प्रतिकूल संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिकूल संबंधित संस्था की होगी होगी।
- ✓ किसीभ इस फार्मेसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को उपयुक्त प्रवेश परिषद परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रवेश वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारम्भ होने के पूर्व पीसीआई से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा पाये प्रवेश की (काउन्सिलिंग के पश्चात से अवश्य संस्था कार्य कर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को प्रवेश विज्ञापन में संस्था की सम्बद्धता सुसंगत सीमे समस्त की रिजिस्ट्रेशन पुष्टिकृति, आरक्ष, फार्म-मानक, पाठ्यक्रम, फार्म विवरण आदि सुसंगत पाठ्यक्रम शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को विज्ञापन-प्रविज्ञापन हेतु उपयुक्त पाठ्यक्रम उपलब्ध कराने के साथ रैंकिंग रिपोर्ट के उपलब्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित करे कि संस्था में प्रवेशार्थि/अभ्यर्थियों पाठ्यक्रम की संख्या उसमें हेतु निर्देशन अवधि के समय उपलब्ध संसाधनों यथा अधिष्ठाता, बुद्धि-मानव, फार्मेसी, उपकरणण इत्यादि का यदि संख्या द्वारा किसी प्रकार प्रवेशार्थियों के संचालन में प्रवेश किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रवेश किसी अन्य स्रोत से लिए जा रही है तो संस्थान संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुशंसा की जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(सुनील कुमार सोनकर)
सचिव

पृ0सं0- प्राशि0/परिषद सम्बद्धता/2021/3538-4035 दिनांक: 09/09/2021

प्रेषक:
चेयरमैन/डीन,ANJANA INSTITUTE OF TECHNICAL EDUCATION,VILL- SANKRAOLI MADUPUR,POST-AJGARA,RANIGANJ,PRATAPGARH

कार्यालय,
सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या:- प्राशि0/परिषद सम्बद्धता/2022/7917 लखनऊ: दिनांक: 30/09/2022

-कार्यालय ज्ञाप-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा वैधिक वर्ष 2022-23 हेतु विभिन्न तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदित प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 29/08/2022 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2022-23 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/ पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य साढ़े पर विचार करते हुए सत्र 2022-23 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0 प्र0 लखनऊ द्वारा सत्र 2022-23 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है :-

संस्था का कोड एवं नाम : 4449-ANJANA INSTITUTE OF TECHNICAL EDUCATION

क्रमांक	पाठ्यक्रम का नाम	एआईसीटीई/पीसीआई द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	CIVIL ENGINEERING	120	120
2	ELECTRICAL ENGINEERING	60	60
3	ELECTRONICS ENGINEERING	60	60
4	MECHANICAL ENGINEERING (PRODUCTION)	120	120
5	COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था एआईसीटीई/पीसीआई/एनसीएचएमसीटी द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमावली 1992, सेमेस्टर विनियमावली 2000, सेमेस्टर विनियमावली-2010 तथा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजीनि पाठ्यक्रमों हेतु रू0 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम हेतु रू0- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक वर्ष के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रू0-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से लिया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। प्रवेश निर्गतन समिति द्वारा यदि सत्र 2022-23 हेतु सीज का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो सीज की मानिकता दये लागू होगी।

[illegible]

(सुनील कुमार सोनकर)
सचिव

पृ0सं0- प्राशि0/परिषद सम्बद्धता/2022/7918-8488 दिनांक: 30/09/2022

प्रेषक:
चेयरमैन/डीन,ANJANA INSTITUTE OF TECHNICAL EDUCATION